न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 141/2018 प्रार्थनापत्र

नोसी देवी आत्मजा श्री गोकल भील पत्नी नन्दा जी भील आयु वयस्क निवासी–अजीतपुरा तहसील करेड़ा हाल महुआ खुर्द, बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।

––प्रार्थीया।

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. सीताराम पुत्र श्री गोकल भील आयु वयस्क निवासी अजीतपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. नारायण आत्मज श्री मांगू भील आयु वयस्क निवासी अजीतपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––––– विपक्षीगण।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धरा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :–

1. श्री राकेश कुमार जैन –अधिवक्ता प्रार्थीया।
2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01
3. स्वयं विपक्षी संख्या–02 उपस्थित।

:: निर्णय :: दिनांक–18/08/2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम अजीतपुरा पटवार हल्का आमदला तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थीया के खातेदारी आधिपत्य की आराजी नम्बर 409 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 410 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 411 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 412 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 04 रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा मे प्रार्थीया का 1/4 हक हिस्सा निहित है। उक्त आराजियात मे प्रार्थीया अपने हक–हिस्से पर काबिज हो आज पर्यन्त निरन्तर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। उक्त आराजियात में गोकल की विरासत से प्रार्थीया का नाम गलती से नोसी के बजाय सोसर अंकित कर दिया जबकि प्रार्थीया का नाम समस्त राजकीय दस्तावेजों यथा आधार

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक अकाऊन्ट एवं राशन कार्ड मे नोसी देवी अंकित है। प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीया के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रार्थीया का नाम सोसर पिता गोकल के बजाय नोसी पिता गोकल भील अंकित कराया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया व विपक्षी संख्या 01 एक सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट मे प्रार्थीया सोसर पिता गोकल का सही नाम नोसी पिता गोकल भील होना बताया गया व विपक्षी संख्या 02 प्रार्थीया के भाई द्वारा भी शपथपत्र पेश कर प्रार्थीया का नाम सोसर नही होकर नोसी होना व नाम दुरूस्त करने मे किसी प्रकार की आपत्ति नही होने बाबत पेश किया गया।

प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड मे सोसर के बजाय नोसी पिता गोकल करने हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया। प्रार्थीया के प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, परिवार राशन कार्ड व भामाशाह कार्ड में भी प्रार्थीया का नाम नोसी भील अंकित है। अतः प्रार्थीया का नाम सोसर पिता गोकल भील के बजाय नोसी पिता गोकल भील दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार कर सरहद अजीतपुरा पटवार हल्का आमदला तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 409 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 410 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 411 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 412 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 04 रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का दर्ज नाम सोसर पिता गोकल भील के बजाय नोसी पिता गोकल भील दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी की जावे।

यह आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा